प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 24.08.2025

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 05 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 24.08.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा गस्त व चेकिंग के दौरान लोनी इन्टर कालेज के पास से मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरी की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त **1**. अंकित पुत्र इन्द्रपाल निवासी न्यू विकास नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष 2. फैजान पुत्र रईस निवासी डाबर तालाब थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से थाना लोनी पर पंजीकृत चोरी के अभियोग से सम्बन्धित 02 मोटरसाइकिल बरामद हुई तथा अभियुक्तगण की निशानदेही से अन्य चोरी की 03 मोटरसाइकिल भी बरामद की गयी। अभियुक्तगण से बरामद चोरी की मोटरसाइकिलों के सम्बन्ध में धारा 317(2)/317(5) बी.एन.एस के तहत अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा अन्य 03 मोटरसाइकिल के बारे में जानकारी की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि जो मोटरसाइकिले हम दोनो से बरामद हुई है उनमे से 02 मोटरसाइकिल हमने थाना लोनी क्षेत्र से चोरी की थी, शेष 03 मोटरसाइकिल हमने दिल्ली एनसीआर से चोरी की थी जिन्हें हमने निठौरा गांव के पास ही खण्डर में छुपा कर खडा किया हुआ था। हमारे ऊपर मुकदमें दर्ज है इसलिये पुलिस से बचने के लिये हम छुपते छुपाते चोरी की मोटसाइकिल को बेचने के लिये जा रहे थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता–

1.अंकित पुत्र इन्द्रपाल निवासी न्यू विकास नगर थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष
2.फैजान पुत्र रईस निवासी डाबर तालाब थाना लोनी गाजियाबाद उम्र 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त फैजान उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर लूट, अपहरण/बलात्कार, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 04 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना टीला मोड पर 01 अभियोग मारपीट/बलबा व 02 अभियोग थाना कोतवाली गाजियाबाद पर मारपीट/गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने व क्रूरता के सम्बन्ध में पंजीकृत है तथा अभियुक्तगण अंकित व फैजान उपरोक्त के विरुद्ध चोरी की मोटरसाइकिलों की बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

अलग-अलग जगह से चोरी की गयी 05 मोटरसाइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, निशादेही/कब्जे से चोरी का सामान 14 दरवाजे लोहे व स्टील के, 39 बोरी सीमेंट व घटना में प्रयुक्त महिन्द्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी बरामद।

दिनांक 22.08.2025 को थाना वेव सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात द्वारा वादी की दुकान से लोहे और स्टील के गेट आदि सामान चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना वेव सिटी पर तत्काल सुसंगत धारा-305(a) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की तलाश/गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 23.08.2025 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए उपरोक्त अभियोग में प्रकाश में आये अभियुक्तगण (1) अमित कुमार पुत्र नन्हे निवासी गली न0- 2 आम कालोनी मिशलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष (2) चिन्टू उर्फ पियूष कुमार पुत्र स्व0- सुरेन्द्रपाल निवासी गली न0- 02 मिशलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष (3) मनीष कुमार पुत्र अमीचन्द निवासी यूको बैंक के पास मिशलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष (4) सौन्टी पुत्र प्रेमपाल निवासी एच-ब्लॉक मिशलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष (5) हैप्पी उर्फ करनपाल पुत्र लालचन्द निवासी महरौली स्टेशन के पास मिशलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष को थाना वेव सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, इनके कब्जे/निशादेही से चोरी के 09 दरवाजा लोहा, 05 स्टील दरवाजा कुल 14 दरवाजा, 39 बोरी सीमेंट मय घटना में प्रयुक्त 01 महिन्द्रा बोलेरो गाड़ी बरामद। जिसमें विवेचना से बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की वृद्धि की गयी एवं थाना मसूरी पर पंजीकृत अभियोग से संबन्धित चोरी की 39 बोरी सीमेंट बरामद होने के संबन्ध में धारा 317(2)/317(5) बीएनएस में अन्य अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तगण ने पूछताछ के दौरान उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया है बताया कि हम लोगों द्वारा कलश फार्म हाउस वेव सिटी के पास से एक दुकान से स्टील व लोहे के दरवाजे चोरी किये थे एवं मसूरी से सीमेंट के बोरी चोरी किये थे। इन घटनाओं को करने के लिए हमनें महिन्द्रा बोलेरो पिकअप इस्तेमाल की थी जो सौन्टी के भाई की है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

(1). अमित कुमार पुत्र नन्हे निवासी गली न0- 2 आम कालोनी मिशलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

(2).चिन्टू उर्फ पियूष कुमार पुत्र स्व0- सुरेन्द्रपाल निवासी गली न0- 02 मिशलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

(3). मनीष कुमार पुत्र अमीचन्द निवासी यूको बैंक के पास मिशलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष

(4). सौन्टी पुत्र प्रेमपाल निवासी एच-ब्लॉक मिशलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

(5).हैप्पी उर्फ करनपाल पुत्र लालचन्द निवासी महरौली स्टेशन के पास मिशलगढी थाना मसूरी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना वेव सिटी पर चोरी व बरामदगी के 02 अभियोग एवं थाना मसूरी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

1.09 दरवाजा लोहा

2. 05 स्टील दरवाजा

3. 39 बोरी सीमेंट

4. घटना में प्रयुक्त 01 महिन्द्रा बोलेरो गाड़ी

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.08.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि विवेक पुत्र तासार सिंह द्वारा वादी की भतीजी उम्र 16 वर्ष से घर में घुसकर दुष्कर्म करना व धमकी देते हुए घर से सोना, चाँदी के जेवरात ले जाना तथा वादी की भतीजी द्वारा अभियुक्त से परेशान होकर आत्महत्या कर लेना। जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा-64(1)/108/333/351(2) बीएनएस व 5L/6 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात् आज दिनांक 24.08.2025 को थाना लोनी बोर्डर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त विवेक सिंह पुत्र भंवरपाल सिंह निवासी ग्राम रामखेडा, थाना काँठ जिला शाहजहांपुर उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना कार्यवाही के दौरान अभियोग में धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान उक्त घटना कारित करना स्वीकार किया गया है, साहब मेरी दोस्ती 04 माह पहले वादी की भतीजी से हो गयी थी जिसमें हमारे बीच शारीरिक सम्बन्ध बने थे। मैने शारीरिक सम्बन्ध बनाने की वीडियो अपने फोन में बना ली थी जिससे मैं पीडिता को परेशान कर रहा था। जिस कारण पीडिता द्वारा आत्महत्या कर ली गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

विवेक सिंह पुत्र भंवरपाल सिंह निवासी ग्राम रामखेडा, थाना काँठ जिला शाहजहांपुर उम्र 21 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण

वीडियो बनाने में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम ।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 25 हजार रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 02.03.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी श्री आबिद निवासी ग्राम मछरी थाना भोजपुर द्वारा उसके पुत्र अलबक्श व उसके साथियों पर अभियुक्तों द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डो व धारदार हथियार से हमला करने तथा अलबक्श व साथियों द्वारा विरोध करने पर उन पर तमंचे से जान से मारने की नियत फायर करने तथा अभियुक्त द्वारा तलवार से गले पर वार करके वादी के पुत्र अलबक्श की हत्या कर देने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर थाना मोदीनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त फारुख दिनांक 02.03.2025 से लगातार फरार चल रहा था। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर पुलिस उपायुक्त ग्रामीण जोन कमिश्ररेट गाजियाबाद महोदय द्वारा 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया।

प्रकरण के सम्बन्ध में अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित की गयी थी जिसमें सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अथक प्रयास किये जा रहे थे जिसके क्रम में थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना में काफी समय से वांछित चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त फारुख पुत्र अब्बास नट निवासी ग्राम लोहडा मोहम्मदपुर थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर उम्र 25 वर्ष को मोदीनगर बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त ने घटना कारित करना स्वीकार किया है व बताया कि दिनांक 01/03/2025 को मोदीनगर क्षेत्र में मण्डपों में बधाई मांगने को लेकर गुरू किन्नर, निशा किन्नर व पूजा किन्नर में वाद विवाद हो गया था। हमने अपने साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर पूजा किन्नर व उसके साथियों के साथ मारपीट की थी तथा रामानन्द पण्डित ने अपनी लाईसेन्सी बन्दूक से अलबक्श के गोली मार दी थी। जिससे अलबक्श वही गिर गया था, हम डर के कारण मौके से भाग गये थे। बाद में हमे पता चला की अलबक्श की मृत्यु हो गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

फारुख पुत्र अब्बास नट निवासी ग्राम लोहडा मोहम्मदपुर थाना रतनपुरी जिला मुजफ्फरनगर उम्र 25 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना कोतवाली नगर नगर पुलिस टीम द्वारा कम्पनी में चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 03 रोल एल्यूमीनियम फोईल एवं 01 पेपर रोल व 4050/- रूपये नकद बरामद

घटना का विवरण- वादी सौरभ सिंह पुत्र श्री सरबचन सिंह जीएमएचआ प्रेम इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि सी-209 बीएस रोड इण्डस्ट्रियल एरिया गाजियाबाद की कम्पनी से अभियुक्तों द्वारा भिन्न भिन्न दिनांको मे एल्यूमिनियम फोइल व पेपर रोल की तेरह पेटी (वजन करीब साढे आठ टन) को चोरी कर ले जाना। जिसके सम्बन्ध मे थाना कोतवाली नगर पर दिनांक 23.08.25 को मु0अ0स0 365/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीमें गठित की गयी थी जिनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज का लगातार गहन विश्लेषण मैनुअल इंटेलिजैन्स, अन्य स्त्रोतो से जानकारी कर घटना के अनावरण हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे थे। आज दिनांक 24.08.25 को थाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर लाल कुआ ट्रैफिक बूथ के पास से मय अभियुक्त 1. रवि कुमार पुत्र नरेश चन्द्र कुशवाहा नि0 ग्राम दयौरैठा थाना कागारोल जिला आगरा उम्र करीब 27 वर्ष 2. राजेश कुमार पुत्र महेश चन्द्र नि0 बलिदादपुर थाना सकरौली जिला एटा उम्र 23 वर्ष 3.उमेश कुमार पुत्र मेवालाल नि0 ग्राम भगौनापुर थाना हैदराबाद जिला लखीमपुर खीरी उम्र 32 वर्ष के कब्जे से प्रेम इण्डस्ट्रीज इण्डिया लि0 के वेयरहाउस से चोरी किये गये माल 03 एल्यूमीनियम फोइल व 01 पेपर की पेटी व चोरी किये गये माल को विक्रय कर शेष बचे 4050/- रूपये नकद बरामद किये गये।

पूछताछ विवरण-

अभियुक्तगण द्वारा पूछने पर बताया गया कि हम तीनों आपस में दोस्त हैं हम लोगों ने मिलकर अलग- अलग दिनों में प्रेम इण्ड़स्ट्रीज इण्डिया लि0 के वेयरहाउस से आठ पेटी एल्यूमीनियम फोइल के रोल व 05 पेटी पेपर रोल चोरी किए थे। हम लोगों ने पूरे माल में से एल्यूमीनियम फोइल के तीन रोल व एक पेपर रोल बचा लिया था और बाकी पेटियों में रखे रोलों को वसीम नाम के कबाड़ी को बेचने की बात कर ली थी फिर दिनांक 05.08.2025 को वसीम अपने साथ लाये केंटर ट्रक में एल्यूमीनियम फोइल व पेपर रोल की पेटी भरकर ले गया था और हम लोगों को 87000/- रूपये दे गया था, जिन्हें हम लोगों ने आपस में बांट लिया था। उमेश व राजेश के हिस्से में बीस – बीस हजार रूपये तथा रवि के हिस्से में 47000/- रूपये आये थे। उन रूपयों से हम अपना खर्चा चला रहे थे और जो रूपये हम लोगों के पास से आपको मिले हैं यह वहीं बचे हुये रूपये हैं।

नाम पता अभियुक्तगण

1- रवि कुमार पुत्र नरेश चन्द्र कुशवाहा नि0 ग्राम दयौरैठा थाना कागारोल जिला आगरा उम्र करीब 27 वर्ष
2- राजेश कुमार पुत्र महेश चन्द्र नि0 बलिदादपुर थाना सकरौली जिला एटा उम्र 23 वर्ष

3- उमेश कुमार पुत्र मेवालाल नि0 ग्राम भगौनापुर थाना हैदराबाद जिला लखीमपुर खीरी उम्र 32 वर्ष

बरामदगी अभियुक्तगण

03 रोल एल्यूमीनियम फोईल एवं 01 पेपर रोल व 4050 रूपये नकद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना कोतवाली नगर

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 23.08.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्तगण द्वारा वादी के साथ जान से मारने की नीयत से लाठी डंडे व धारदार हथियार से मारपीट करना जिससे वादी को काफी गंभीर चोटें आना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा- 109(1)/115(2)/351(3)/333 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 24.08.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कुलदीप उर्फ मोनू पुत्र श्रीभगवान नि0 ग्राम सुराना थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि दिनांक 21/08/2025 शाम के समय मेरे प्लाट के सामने पीडब्ल्यूडी द्वारा ग्राम सुराना में सडक बनवाई जा रही थी। मैं पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार से बात कर रहा था । वहीं पर मौजूद मेरे गांव का आदेश कुमार पुत्र बालकिशन से सड़क को लेकर हम दोनों में बहस होने लगी। आदेश मुझे गाली गलौज करके अपने घर की तरफ भागा मैं व संजय पुत्र कमरपाल विक्रम उर्फ लालू पुत्र अभिमन्यू मेरे परिवार के आदेश के घर के पास पहुंच गये, आदेश की पत्नी भी मौजूद थी। सडक बनवाने को लेकर हम दोनों में कहासुनी हुई, इसके उपरान्त दिनांक 22/08/2025 को समय करीब 08.00 बजे बालाजी मन्दिर पर मैं व मेरे परिवार के पुत्र कमरपाल विक्रम उर्फ लालू पुत्र अभिमन्यू बैठे थे मैं खेतों से घूमकर आया था, मेरे हाथ में लाठी थी। आदेश मन्दिर पर पानी पी रहा था और मुझे देखकर गाली गलौज करने लगा और कहा किसी दिन तुझे जान से मार दूंगा और मुझे मारने पीटने के लिए आमदा हो गया । मैने सोचा ये तो मुझे जान से मार देगा तो मैने आदेश के लाठी मारी आदेश के सिर व शरीर में लगी जिससे आदेश का सिर फट गया और आदेश जमीन पर गिर गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कुलदीप उर्फ मोनू पुत्र श्री भगवान नि0 ग्राम सुराना थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त कुलदीप उर्फ मोनू उपरोक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 03.10.2024 को थाना मसूरी पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त कृष्णपाल द्वारा धोखाधड़ी कर बेईमानी से फर्जी दस्तावेज तैयार कर वादी से प्लाट देने के नाम पर रूपये हडप लेना व वापस न करना व धमकी देना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर सुंसगत धारा 420/467/468/471/506 भादवि में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

आज दिनांक 24.08.2025 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त कृष्णपाल पुत्र शीशपाल निवासी इन्द्रगढी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्त कृष्णपाल उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैंने धोखाधड़ी कर बेईमानी से फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लाट देने के नाम विपक्षी से रुपये हडप लिये थे। जो मुझसे रुपये मांगता था तो मैं उसे धमका देता था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कृष्णपाल पुत्र शीशपाल निवासी इन्द्रगढी थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र 58 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरूद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा नेशनल एक्सप्रेस-वे पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी को कार से कुचल कर हत्या करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23.08.2025 को समय 18.15 बजे ट्रैफिक पुलिस गाजियाबाद के दो जवान कां0 1519 प्रदीप कुमार व का0 52 विपिन कुमार IPEM कॉलेज कट थाना क्षेत्र विजयनगर गाजियाबाद पर रूट व्यवस्था ड्यूटी पर कार्यरत थे तभी दिल्ली से मेरठ की ओर आ रही अर्टिगा गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं0 UP14GS9138 के चालक द्वारा जान से मारने की नियत से गाड़ी को तेज रफ्तार से चलाकर पुलिस कर्मीयों के तरफ बढाया तभी कां0 1519 प्रदीप कुमार भाग कर अपनी जान बचाया तथा कां0 52 विपिन कुमार को गाड़ी चालक द्वारा जोरदार टक्कर मार दी जिससे कां0 विपिन कुमार लगभग 10 फीट ऊपर उछल कर रोड पर गिरा। जिसे तत्काल मणिपाल होस्पिटल उपचार हेतु भर्ती कराया गया। ईलाज के दौरान कां0 52 विपिन कुमार की मृत्यु हो गयी। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मृतक के भाई की तहरीर पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरणः- अभियोग में त्वरित कार्यवाही करते दिनांक 23.08.2025 की रात्रि में मुखबिर की सूचना एवं सर्विलांस की मदद से घटना कारित करने वाले कार रजिस्ट्रेशन नम्बर UP14GS9138 के चालक 1. विनीत पुत्र इन्द्रपाल निवासी मन्नू गढ़ी, सदरपुर थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद 2. सुमित पुत्र ऋषिपाल निवासी

निवासी मन्नू गढ़ी, सदरपुर थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद को घटना में प्रयुक्त कार सहित कोटगांव फाटक विजयनगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का अभियुक्तगणः-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 23.08.2025 को मैं तथा मेरा चचेरा भाई विनीत हम दोनों हरियाणा से गाजियाबाद अपने घर सदरपुर हाईवे से जा रहे थे। उस दिन दिल्ली पुलिस से हमारी गाड़ी चलाने को लेकर कुछ कहा सुनी हुई थी। जब हम गाजियाबाद पहुंचे तो शाम के समय IPEM कॉलेज कट पर ट्रैफिक पुलिस वाले दिखाये दिये हमे लगा कि यह भी हमें रोककर परेशान करेगे। हम दोनों पुलिस वालों से पहले से ही खफा थे। इसीलिये हमने वहां पर मौजूद पुलिस वालों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। जिससे एक पुलिस कर्मी को टक्कर लगी थी जिससे उछल कर काफी दूर गिरा था तथा हम दोनों गाड़ी लेकर वहां से भाग गये थे।

नाम पता अभियुक्तगणः –

1. विनीत पुत्र इन्द्रपाल निवासी मन्नू गढ़ी, सदरपुर थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र 31 वर्ष।
2. सुमित पुत्र ऋषिपाल निवासी मन्नू गढ़ी, सदरपुर थाना मधुबन बापूधाम जनपद गाजियाबाद उम्र 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

घटन में प्रयुक्त 01 कार अर्टिगा गाड़ी रजिस्ट्रेशन नं0 UP14GS9138।

अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः –

अभियुक्त विनीत उपरोक्त पर - 03 अभियोग थाना मधुबन बापूधाम पर पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।